

भाग-2

(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या-.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
	(2) जिला	हमीरपुर
	(3) वन प्रभाग	हमीरपुर
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	5.1364 हे०
	(5) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित एवं संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.5
	(7) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किए जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर०एल०एफ०आर०एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किए जाये	संलग्न है।
	(8) भू:क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रस्तावित कार्य में भू: क्षरण की सम्भावना नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित एवं आरक्षित वन सीमा के अन्दर।
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हों क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)	नहीं।
	(11) क्या प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हों/नहीं तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरा/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में	नहीं।

eh

	स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परीयोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित अपरिहार्य एवं न्यूनतम है
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा—	संलग्न है।
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	(3) रोपिक किये जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	शीशम, देशी बबूल, नीम, सिरस, पाकड़, चिलबिल, कंजी आदि
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्राक्कलन संलग्न है।
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारण क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धित दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न



	उपर्युक्त कालम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4021 वर्ग कि०मी०
	(2) जिले का वन क्षेत्र	24083.983 हे०
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	10 मामले 163.993 हे०
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	—
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
	(ख) वनेत्तर भूमि	14.766 हे०
	(5) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	—
	(क) वन भूमि पर	280.40
	(ख) वनेत्तर भूमि	14.766 हे०
	प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	संरक्षित/आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

(उमेश चन्द राय)

प्रभागीय वनाधिकारी
हमीरपुर जिला प्रभाग, हमीरपुर।
हमीरपुर